

कार्यालय,

संघिय, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

प्रचार प्रवेश तख्तनऊ।

संख्या:- प्राशिपापरिवड सम्बद्धता/2021/3537

तख्तनऊ: दिनांक 09/08/2021

कार्यालय प्राप:-

अखिर भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यासी कार्यालय ऑफ इण्डियन, नई दिल्ली द्वारा सैदिक सत्र 2021-22 हेतु शिक्षा सातीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपराल प्राविधिक शिक्षा परिषद, उाउउ तख्तनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संसाधित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था की प्राविधिक शिक्षा परिषद, उाउउ तख्तनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिर प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1510-GAYATRI COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, MURHI, JAHANGIR PUR, AGRA

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	FASHION DESIGNING & GARMENT TECHNOLOGY	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	30	30
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	30	30
6	TEXTILE DESIGN	60	60
7	CHEMICAL ENGINEERING (PETRO CHEMICAL)	30	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उच्च प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1992, सेमेस्टर विनियमकारी-2015 तथा अन्य विहित नियमों एवं अदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा

निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इन्टैरि पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,000-00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक कर्मीसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000-00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक कर्मीसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500-00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में स्वयं-स्वयं पर साक्ष्य द्वारा निर्गत किये जाने वाले वास्तविक प्रस्तावों होने, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीच निश्चयन समिति द्वारा यदि वर्ष 2021-22 हेतु जीम का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीच की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त) प्रविधिक शिक्षा समितियां तथा उच्च समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना। विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्जित करने को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश वासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत वास्तविक के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०आई०पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिनियमों/अधिनियमों/वासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संकुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कर्मीसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी०सी०आई० नई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संकुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश वासन को कोई मददाय किया जाता है तथा मददाय के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संवित्त संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कर्मीसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संकुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश वासनक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आर्पणित प्रवेश परीक्षा हेतु कर्तव्यनिष्ठ प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कर्तव्यनिष्ठि के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीने प्रौर) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास्तु शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपायुक्त वसाकरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिन रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को सञ्चालने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिलेख भूमि-भवन, कर्मीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के वार्षिक निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०आई०पी०सी०आई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं बना जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमनुसार अनुवासानसक कार्यवाही की जाएगी।

(सुशीला कुमार सोनकर)

सचिव

पुस्तक- प्रशिक्षणपरिचय संख्या/2021/3538-4809

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, GAYATRI COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, MURHI,
JAHANGIR PUR, AGRA




(दुनीत कुमार सोनकर)

सचिव

100-वर्षीय (1919-2019) वार्षिक अहवाल व अनुसंधान कार्य वगैरया बाबतच्या ही उपलब्ध काढण्या होत आहेत असे प्रत्येक को. (कॉलेजिअट) के माध्यम व एकेच वार्षिक के आधारे पाहणीचे असेच अनुसंधान प्रदान वही की जायेगी


- ✓ उत्तर प्रत्येक बाबतचा ह्या प्रश्न हेचु असा-समाप्त या निर्णित नसित्याच बाबतचा निवर्तन का अनुसंधान करणं बाध्यकारी होणं।
- ✓ संस्था को असे वेळोवेळ पर संस्था को बाबत वृत्त-वर्त असे बाबत को ऐतिहासिक वृत्ति भूमि, बाबत-उत्तर-बाबत, उपलब्ध, प्राप्त किंवा जवळ बाबत वृत्त, उपलब्ध वृत्त अदि का विवरण उपलब्ध करणं होणं।
- ✓ संस्था को विवरण अतिशय हेचु उपयुक्त बाबतचा उपलब्ध करणं के बाबत प्रमाण होणं के बाबत वें संस्था उपलब्ध उपलब्ध सुविधा करणं होणं।
- ✓ संस्था पर सुविधा हो नें के संस्था में पराविष्ट बाबतचा उपलब्ध करणं करणं के हेचु निर्देशन समिती के संपन्न उपलब्ध करणं नवे अतिशय, भूमि-भवन, फार्मिचर, उपलब्ध वृत्तदि का परि संस्था ह्या किंवा अन्य उपलब्ध के संस्था में असेच किंवा जवळ है और परीक्षा को ह्याचो अनुसंधान होणं है कि संस्था उपलब्ध का प्रमाण किंवा अन्य कार्य के किंवा करणं है तो उपलब्ध संस्था को उपलब्ध बाबत विवेचने वही समितीची की जायेगी।
- ✓ संस्था के औपचारिक निर्देशन के बाबत वही संस्था में भूमि, भवन, फार्मिचर, उपलब्ध एवं अन्य बाबत-समाप्त 100-वर्षीय (1919-2019) वार्षिक अहवाल परीक्षा के माध्यमचा उपलब्ध नही प्राप्त करणं है तो संस्था को उपलब्ध समाप्त कर ही जायेगी।
- ✓ उपलब्ध बाबत का अनुसंधान न किंवा जवळ बाबत का उपलब्ध विवेचने वही की समिती में नियमानुसार अनुसंधानकारण कार्यवाही की जायेगी।


 (सचिव-आचार्य खाण्डे)
 सचिव

पृ. 04/0. सचिवपरिषद सं. 22/22/78/18-84/55

दिनांक: 30/08/2022

पत्रिका:-
 सचिवपरिषद GANPATI COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY


 (सचिव-आचार्य खाण्डे)
 सचिव